बी0ओ0क्यू0 (बिल ऑफ क्वान्टिटी)

भोजन एवं नाश्ते की दरें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हेतु हैं। विभाग प्रतिदिन 100 व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 180 कार्य दिवसों में उक्त व्यवस्थाओं हेतु निविदादाता को आश्वस्त करता है। इस हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर निम्न प्रारूप पर निविदादाताओं से दरें आमंत्रित की जाती है।

निविदा आमंत्रण हेतु सक्षम अधिकारीः– अपर निदेशक /सचिव 'प्रिट'

कार्य का नामः– पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान 'प्रिट', उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के समय कैंटीन की व्यवस्था।

नाम निविदादाता/निविदाकर्ता फर्म /कम्पनी :–

निविदा संख्याः–01/ 08/2017–18/PRIT/LKO

यह बी0ओ0क्यू0 किसी भी दशा में निविदादाता द्वारा सुधारा/बदला नहीं जाएगा तथा पूर्ण रूप से भरा गया बी0ओ0क्यू0 दिए गए प्रारूप पर अपलोड किया जाएगा। अन्यथा की दशा में निविदा प्रपत्र निरस्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। निविदादाता द्वारा बी0ओ0क्यू0 प्रपत्र पर निविदादाता का नाम तथा दरें ही भरी जाएँगी।

क्र0सं0	**सामग्री**	**मात्रा**	**दरें रू0 में (समस्त कर सहित)**
1.	**प्रातःकालीन नाश्ताः**– ब्रेड पकौड़ा,चाय, 02 बिस्कीट या छोला भटूरा, चाय, बिस्कीट या सैन्डविच, चाय, बिस्कीट या इडली,चटनी,चाय एवं बिस्कीट	1	
2.	पानी का बोतल (500 एम0एल0)	3	
3.	चाय एवं बिस्कीट सुबह 11:00 बजे एवं शाम 4:00 बजे (बिस्कीट पारले जी या ब्रिटानिया)	2	

क्र0सं0	सामग्री	मात्रा	दरें रू0 में (समस्त कर सहित)
4.	दोपहर का भोजन :–रोटी–तन्दूरी एवं मिस्सी या तवा रोटी सब्जी–2 (01 मौसमी सब्जी या मिक्स वेज सूखी और 01 पनीर, कोफ्ता या मशरूम रसदार) ,दाल–अरहर या दाल मखानी या राजमा या कढ़ी पकौड़ा, चावल–सादा या जीरा राइस, रायता–बुंदी या मिक्स वेज, मीठा–गुलाब जामुन या सीजनल वेज हलवा, पापड़, सलाद, अचार व सौफ	1	
5.	रात्रि का भोजन–रोटी–तन्दूरी एवं मिस्सी या तवा रोटी,सब्जी–2 (01 मौसमी सब्जी या मिक्स वेज सूखी और 01 पनीर, कोफ्ता या मशरूम रसदार) चावल–सादा या जीरा राइस,दाल–अरहर या दाल मखानी या राजमा या चना दाल ,मीठा–गुलाब जामुन या सीजनल वेज हलवा या खीर,पापड़, सलाद, अचार, सौफ	1	
6.	चाय एवं पानी हेतु डिस्पोजल ग्लासेज तथा भोजन के समय डिस्पोजल कटोरियां (उच्च क्वालिटी)	आवश्यकतानुसार	
	कुल योग		

निविदा हेतु पात्रता मापदंड

1. खाद्य विभाग में कैटरिंग का रजिस्ट्रेशन (प्रतिलिपि संलग्न करे)।
2. संस्था का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन (प्रतिलिपि संलग्न करे)।
3. संस्था के पास लेबर लाइसेंस होना अनिवार्य है, कृपया प्रतिलिपि अटैच करें।
4. संस्था द्वारा 'प्रिंट' में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, योग्यता एवं अनुभव के सम्बन्ध में लिखित विवरण उपलब्ध कराया जाए।
5. संस्था द्वारा वैध ई0पी0एफ0 न0 / ई0एस0 आई0 / ग्रेच्युटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए।
6. अगर संस्था मिनिमम वेजेज एक्ट, यू0पी0 के अनुसार शासित है, तो विवरण उपलब्ध कराया जाए।
7. संस्था द्वारा विगत तीन वर्षो में जमा किये गये आय कर के रिटर्न तथा पैन नं0 की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाए।
8. संस्था की विगत तीन वर्षो की चार्टेड एकाउन्टेन्ट से ऑडिटेड बैलेंस शीट उपलब्ध करायी जाए।
9. संस्था द्वारा गत वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये गये कैटरिंग कार्यो के साक्ष्य संलग्न किये जाए।
10. संस्था इस तथ्य का शपथ पत्र संलग्न करे की संस्था / संचालक / साझीदार के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है तथा यदि पूर्व में किसी प्रकार की सजा या विधिक कार्यवाही, संस्था / संचालक / साझीदार के विरुद्ध हुई है तो उसका विवरण दें।

निविदा प्रपत्र

निविदा हेतु नियम एवं शर्तें:–

1. पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, ('प्रिट') लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ में आवासीय प्रशिक्षणों में कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु यह निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदाता द्वारा निविदा प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ई–टेण्डरिंग पद्धति का उपयोग करते हुए निविदा एवं बी0ओ0क्यू0 वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।
3. निविदा 'प्रिट' के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी तथा आपसी सामंजस्य तथा कार्यो के संतोषपूर्ण सम्पादन के आधार पर अगले एक वर्ष हेतु इन्ही शर्तो एवं दरों पर नवीनीकृत की जा सकेगी। कार्यों के संतोषजनक सम्पादन न होने की स्थिति में एग्रीमेन्ट एक वर्ष पूर्व भी निविदा समाप्त की जा सकेगी ।
4. निविदा हेतु इच्छुक संस्थाओं द्वारा ई–टेंडरिंग के माध्यम से दो बिड सिस्टम के आधार पर निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र etender.up.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए टेंडर व बी.ओ.क्यू. दिनांक 30 जुलाई, 2017 सायं 05:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं।
5. निविदा प्रपत्र में सम्मिलित सभी पृष्ठों पर संस्था के मालिक या उनके द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। हस्ताक्षर कर्ता यदि अधिकृत है तो अधिकार पत्र की प्रति निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न की जाय।
6. निविदा कर्ता द्वारा "धरोहर राशि" (EMD) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रु0 50,000/– का डिमांड ड्राफ्ट "पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)" के नाम से लखनऊ में देय हो एवं निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत की गई निविदाओं पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
8. सफल निविदाकर्ता द्वारा परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में अनुमानित कुल वार्षिक लागत की दस प्रतिशत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के "पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)" के नाम से लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि "परफार्मेन्स गारण्टी" के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि में सम्मिलित होगी। यदि सफल निविदाकर्ता कार्यादेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस की समय–सीमा में परफार्मेन्स गारण्टी एवं धरोहर राशि के अन्तर की धनराशि विभाग में जमा नही करता है या निर्गत कार्यादेश व अनुबंध में वर्णित समय–सीमा एवं शर्तों के अनुरुप कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो संस्था की धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी, यदि विभाग द्वारा राशि जमा करने की समय–सीमा में कोई छूट प्रदान करने की स्वीकृति

नहीं दी गई है। तय समय सीमा के अन्तर्गत उक्तानुसार न्यूनतम निविदादाता संस्था द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को कार्य आबंटित करने हेतु 'प्रिट' स्वतंत्र होगा।

10. निविदा, टेंडर खुलने की दिनांक से 90 दिनों हेतु मान्य होगी।
11. यदि दो या अधिक संस्थाओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो निगोसियेशन अथवा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था के कार्य अनुभव व पूर्व में किये गये समान प्रकृति के कार्यों के सफल निष्पादन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
12. संस्था द्वारा दिये गये रेट/दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं राज्य सरकार के वैधानिक दायित्वों (टैक्स) को सम्मिलित किया जायेगा। संस्था द्वारा इनकम टैक्स, ई.पी.एफ. योगदान, ई.एस.आई. योगदान, बोनस इंश्योरेंश, श्रमिको के वेतन आदि समेकित करते हुए सम्मिलित दरें प्रस्तुत की जायेगी। संस्था द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक जिम्मेदारिया संस्था द्वारा वहन की जायेगी, विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. भोजन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले ईधन, भोजन निर्माण एवं सर्विगं में प्रयुक्त होने वाले बर्तन एवं कटलरी की व्यवस्था सम्बन्धित संस्था द्वारा की जायेगी।
14. पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, 'प्रिट' के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में हस्तांतरणीय नहीं होगा।
16. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न बी0ओ0क्यू0 में उल्लिखित सर्वाधिक कम दरों के अनुसार संस्था का चयन किया जायेगा।
17. केवल तकनीकी रूप से अर्ह संस्थाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
18. किसी वाद की स्थिति में लखनऊ न्यायालय का कार्य क्षेत्र मान्य होगा।
19. संस्था द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान में से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
20. निविदादाता द्वारा दी गयी जानकारियों के सत्य के होने के संबंध मे रु0 50 के स्टाम्प पेपर नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा